



रा०रा० श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० गवालियर के समक्ष

रिक्ष्य ६७३ प८८/२००४

- 1) श्रीमती सिरेकुवर बाई पति स्व० शिवकिशन दास
- 2) अनिलकुमार पिता शिवकिशन दास
- 3)

सभी निवासी ग्राम राय तलाई तह बुहरानपुर
विरुद्ध

प्रार्थीगण

- 1) म०प्र शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी महोदय, बुहरानपुर
 - 2) श्रीमती मंदाकीनी पति मनोहर लाल
 - 3) श्रीमती माला पति प्रदीप कुमार
- दोनो निवासी - ग्राम राय तलाई तह०. व जिला बुहरानपुर

डी १५ नीत जी बी हिमा
डारा हाजि दि. २४.५.०५
१००५ जैप ५५ प८८ लिप्पी

प्रतिप्रार्थीगण

२४-५-०५

पुर्णविलोकन अंतर्गत धारा ५१ म०प्र भ० राजस्व संहिता

इस माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क. १२३ / ४ / ८९ में दिनांक 25.04.2003 को पारित ओदश के सम्बंध में अपनी पुर्णविलोकन याचिका निम्नानुसा सादर प्रस्तुत है।

Amma

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 673—पीबीआर / 2004

जिला बुरहानपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमानकों आदि के हस्ताक्षर
25-8-2015	<p>आवेदक गण की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर व गुणदोषों पर किया जा रहा है। प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 25-4-2003 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 122-चार/1989 में पारित आदेश दिनांक 25-4-2003 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:-</p> <p>1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या</p> <p>2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या</p> <p>3 कोई अन्य पर्याप्त कारण</p> <p>अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है।</p> <p>अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p> <p style="text-align: left;"><i>[Signature]</i></p>	